



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022021-224986
CG-DL-E-05022021-224986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942

No. 65]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

सं. 16/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 103(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना को उसके सामने कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्या 96/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008 जिसे सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत भारत के	उक्त अधिसूचना में,- (i) प्रस्तावना में, उपवाक्य (i) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट संपूर्ण सीमा शुल्क से" के पश्चात शब्द, अंक और कोष्ठक "और वित्त

	राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर से” जोड़े जाएंगे। (ii) स्पष्टीकरण में शब्द, अंक और कोष्ठक “उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क की मानक दर” के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क की मानक दर और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अंतर्गत लगाए जाने वाले कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर की मानक दर का योग” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.	अधिसूचना संख्या 57/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 30 मई, 2009, जिसे सा.का.नि. 371(अ), दिनांक 30 मई, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक और कोष्ठक “उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) की तहत जारी की गई किसी भी प्रभावी अधिसूचना के साथ पठित कर का दर होगा” के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क की मानक दर और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अंतर्गत लगाए जाने वाले कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर का योग अभिप्रेत है” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	अधिसूचना संख्या 101/2007-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2007, जिसे सा.का.नि. 583 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक और कोष्ठक “उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) की तहत जारी की गई किसी भी प्रभावी अधिसूचना के साथ पठित कर का दर होगा” के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क की मानक दर और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अंतर्गत लगाए जाने वाले कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर का योग अभिप्रेत है” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4.	अधिसूचना संख्या 50/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2018, जिसे सा.का.नि. 604 (अ), दिनांक 30 जून, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक और कोष्ठक “उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानक दर से है” के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क की मानक दर और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अंतर्गत लगाए जाने वाले कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर का योग अभिप्रेत है” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट:

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 96/2008-सीमाशुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008 को सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 68/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 27 जुलाई, 2017 जिसे सा.का.नि. 962(अ), दिनांक 27 जुलाई, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या 57/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 30 मई, 2009 को सा.का.नि. 371(अ), दिनांक 30 मई, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 जिसे सा.का.नि. 964(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
3. प्रधान अधिसूचना संख्या 101/2007-सीमाशुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2007 को सा.का.नि. 583 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 10/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2020 जिसे सा.का.नि. 70(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
4. प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2018, को सा.का.नि. संख्या 604(अ), दिनांक 30 जून, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 जिसे सा.का.नि. 694(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th February, 2021

No. 16/2021-Customs

G.S.R. 103(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby further amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

S. No.	Notification number and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No.96/2008- Customs, dated the 13 th August, 2008, published in the gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 590(E), dated the 13 th August, 2008	In the said notification, - (i) in the preamble, in clause (i), after the words, figures and brackets “from whole of the duty of Customs as specified in the first schedule of the Customs Tariff Act, 1975”, the words, figures and brackets “and from whole of Agriculture Infrastructure and Development Cess, leviable under clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021)” shall be inserted;

		(ii) in the Explanation, for the words, figures and brackets “the standard rate of duty specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)”, the words, figures and brackets “the sum of the standard rate of duty specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and Agriculture Infrastructure and Development Cess leviable under clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021)” shall be substituted.
2.	Notification No.57/2009- Customs, dated the 30 th May, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 371 (E), dated the 30 th May, 2009	In the said notification, in the Explanation, for the words, figures and brackets “ the standard rate of duty specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975”, the words, figures and brackets “the sum of the standard rate of duty specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and Agriculture Infrastructure and Development Cess leviable under clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021)” shall be substituted.
3.	Notification No. 101/2007- Customs, dated the 11 th September, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 583(E), dated the 11th September, 2007	In the said notification, in the Explanation, for the words, figures and brackets “ the standard rate of duty specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975”, the words, figures and brackets “the sum of the standard rate of duty specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and Agriculture Infrastructure and Development Cess leviable under clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021)” shall be substituted.
4.	Notification No. 50/2018-Customs, dated the 30 th June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 604 (E), dated the 30 th June, 2018	In the said notification, in the Explanation, for the words, figures and brackets “ the standard rate of duty specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975”, the words, figures and brackets “the sum of the standard rate of duty specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and Agriculture Infrastructure and Development Cess leviable under clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021)” shall be substituted.

[F. No. 334/02/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note :

1. The principal notification No. 96/2008-Customs, dated the 13th August, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 13th August, 2008 and was last amended *vide* notification No. 68/2017-Customs, dated the 27th July, 2017, published *vide* number G.S.R. 962(E), dated the 27th July, 2017.
2. The principal notification No.57/2009- Customs, dated the 30th May, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 371(E), dated the 30th May, 2009 and was last amended *vide* notification No. 36/2019-Customs, dated the 30th December, 2019, published *vide* number G.S.R. 964(E), dated the 30th December, 2019.
3. The principal notification No. 101/2007-Customs, dated the 11th September, 2007, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 583(E), dated the 11th September, 2007 and was last amended *vide* notification No. 10/2020-Customs, dated the 2nd February 2020, published *vide* number G.S.R. 70(E), dated the 2nd February 2020.

4. The principal notification No. 50/2018-Customs, dated the 30th June, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 604(E), dated the 30th June, 2018 and was last amended *vide* notification No. 36/2019-Customs, dated the 30th December 2019, published *vide* number G.S.R. 964(E), dated 30th December 2019.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 104(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 69(अ) दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित गया था, में:—

- (i) पृष्ठ संख्या 33 पर, पंक्ति 21 में, '2008' के स्थान पर '2208' पढ़ें;
- (ii) पृष्ठ संख्या 34 पर, अनुबंध में, अंत में निम्नलिखित क्र.सं. को जोड़ा जाएगा:-

“ 9.	सा.का.नि. 801(अ) तारीख 9 नवम्बर, 2011 द्वारा अधिसूचना सं. 99/2011-सीमा शुल्क, तारीख 9 नवम्बर, 2011 ।”।
------	--

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

CORRIGENDA

New Delhi, the 5th February, 2021

G.S.R. 104(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021,

- (i) at page 35, in line 9, **for** '2008' **read** '2208';
- (ii) at page 36, in the ANNEXURE, the following S. No. shall be added at the end, namely :-

“ 9.	Notification No. 99/2011-Customs, dated the 9 th November, 2011 <i>vide</i> number G.S.R. 801(E), dated the 9 th November, 2011.”.
------	--

[F. No. 334/02/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.